संख्या—142 / XXIV(1) / 2012—45 / 2008T.C.-I

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद्,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग—1 (बेसिक) देहरादूनः दिनांकः 02 अप्रैल ~~मार्च~~, 2012

विषयः— शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा—12(2) के अनुसार प्रति बच्चा व्यय निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—5543 / 04—आरटीई / 2011—12, दिनांक 10.02.2012 तथा प्रति बालक व्यय हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति निर्धारण हेतु सचिव, विद्यालयी शिक्षा के अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 13.01.2012 में की गयी संस्तुतियों के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा—12(2) एवं उत्तराखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम—13(2) के प्राविधानुसार असहायता प्राप्त / निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले अपवचित समूह / कमजोर वर्ग के बच्चों हेतु प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में निम्नानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः—

(1) राज्य सरकार / स्थानीय निकाय द्वारा स्थापित एवं नियंत्रणाधीन (राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त) ऐसे कुल विद्यालयों, जिनमें प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती है, पर प्रारम्भिक शिक्षा में कुल वार्षिक आवर्ती व्यय की धनराशि में इन विद्यालयों में नामांकित प्रारम्भिक स्तर के कुल बच्चों की संख्या से भाग देने पर प्रति बालक मासिक व्यय रू0 1383.00 आगणित हुआ है अतः सरकारी विद्यालयों में प्रति बालक आगणित व्यय के आधार पर ही असहायता प्राप्त / निजी विद्यालयों में प्रवेशित अपवंचित समूह / कमजोर वर्ग के बच्चों हेतु प्रति बालक रू0 1383.00 प्रतिमाह अर्थात अधिकतम वार्षिक व्यय=रू0 16596.00 की प्रतिपूर्ति की जानी है। यदि विद्यालय द्वारा उक्त धनराशि से कम शुल्क निर्धारित है तो जो धनराशि न्यून होगी वही धनराशि विद्यालय को प्रतिपूर्ति की जायेगी अर्थात विद्यालय द्वारा निर्धारित मासिक शुल्क या रू0 1383.00 प्रति माह में से जो भी कम हो, का भुगतान विद्यालय को किया जाना है।

(2) चूँकि उक्त धनराशि आगणन में सरकारी विद्यालयों में बच्चों को दी जाने वाली निःशुल्क सुविधाएं यथा—गणवेश, पाठ्य—पुस्तकें एवं मध्यान्ह भोजन योजना का

व्यय सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः इन सुविधाओं के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगीः–

- **निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों हेतु प्रति बच्चा वार्षिक व्ययः**– बच्चे द्वारा पाठ्य पुस्तकें क्रय करने हेतु किया गया वास्तविक व्यय अथवा सर्व शिक्षा अभियान–आर0टी0ई0 के संवर्द्धित फ्रेमवर्क के अनुसार पाठ्य पुस्तकों हेतु प्रति बच्चा वार्षिक व्यय– प्राथमिक स्तर पर रू0 150.00 (अधिकतम सीमा तक) तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर रू0 250.00 (अधिकतम सीमा तक) जो भी कम हो, देय होगा।

- **निःशुल्क गणवेश हेतु प्रति बच्चा वार्षिक व्ययः**– निःशुल्क गणवेश हेतु प्रति बच्चा वार्षिक व्यय=रू0 400.00 (भारत सरकार के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2010–11 में प्राप्त स्वीकृति के अनुसार) देय होगा।

- **निःशुल्क मध्याह्न भोजन हेतु प्रति बच्चा वार्षिक व्ययः**– (मध्याह्न भोजन प्रकोष्ठ के अनुसार)–

क्र0सं0	स्तर	वार्षिक व्यय (रू0 में)	प्रति उपस्थित/प्रति दिन व्यय (रू0 में)
1	प्राथमिक स्तर	1165.00	5.06
2	उच्च प्राथमिक स्तर	1547.00	6.73

बच्चों को मध्याह्न भोजन के सापेक्ष धनराशि का भुगतान उनकी विद्यालय में उपस्थिति के आधार पर किया जायेगा, मध्याह्न भोजन हेतु वर्ष में प्रति बच्चा अधिकतम कार्यदिवस 230 दिन निर्धारित है।

- उक्त विद्यालयों में प्रवेशित बच्चों को निःशुल्क सुविधाओं के सापेक्ष प्रति बच्चा वार्षिक/मासिक व्यय का भुगतान बच्चों के नाम से बैक खातों के माध्यम से किया जायेगा।

(3) निजी/असहायता प्राप्त विद्यालयों को प्रति बालक व्यय की प्रति पूर्ति भुगतान का भुगतान 02 किश्तों में किया जायेगा। प्रथम तथा द्वितीय किश्त का भुगतान क्रमशः सितम्बर एवं फरवरी माह में किया जायेगा।

2. कृपया उक्त निर्देशानुसार तत्काल आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पन्न करायी जाय।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–111(NP)/XXVII(3)/2011–12, दिनांक 29.03.2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड(राज्य परियोजना निदेशक के माध्यम से)।
5. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/अपर जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक/माध्यमिक) उत्तराखण्ड (राज्य परियोजना निदेशक के माध्यम से)।
8. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड (राज्य परियोजना निदेशक के माध्यम से)।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0आर0सिंह)
अनुसचिव।